

डिक्री बमुकदमें ईबदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 74/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. कालुराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. लीलाधर पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सुरेन्द्र कुमार हुड्डा वकील-वादीगण

श्री सुभाष बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 28-02-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 2 केकेएसएम ए के प.नं. 198/14(12) कि.नं. 17/2, 23/2, 24/1 की 0.442 है., प.नं. 198/15(14) कि.नं. 3/2, 4, 7, 8, 9/1, 12 ता 14, 17 ता 19 की 2.707 है., प.नं. 198/16(17) कि.नं. 8/2, 9, 10, 12, 13/1, 18/2, 19, 22/2, 23/3 की 1.716 है. इस प्रकार कुल 4.865 है. भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28-02-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

